न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(राज0)

प्र0सं0, 27/2009,(जी.सी.एम.एस. न. 2009/00007) पीठासीन अधिकारीः—डॉ.रवि कुमार गोयल (R.A.S)

उनवान

गिर्राज पुत्र झूती जाति गूजर निवासी ग्राम अंजारी तहसील डीग —वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग —प्रति0

दावा बाव उद्घोषणा अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 राज0 टि0 एक्ट,

दिनांकः 19.06.2024

निर्णय

वादी द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ.ख.नम्बरान 141/0.65 वाके ग्राम अंजारी तहसील डीग में स्थित है। जोकि सैटिलमेंट विभाग की गलती से राजस्व रिकार्ड में चारागाह गलत प्रकार से अंकित होता चला आ रहा है। साविक आराजी खसरा नम्बर 106 रकबा 2 वीघा 19 विस्वा, 62 मिन रकबा 4 वीघा 19 विस्वा, 144 रकबा 3 वीघा एवं अन्य खातेदारी की आराजी है और उक्त आराजी पर वादी का कब्जा है। वक्त सैटिलमेंट ऑपरेशन के दौरान हाल आराजी खसरा नम्बर 128 रकबा 1.85 में से करीव 2 वीघा के करीव वक्त सैटिलमेंट ऑपरेशन वादी के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया गया था,जबकि हाल खसरा नम्बर 141 रकबा 0.65 स्थित ग्राम अंजारी तहसील डीग पर वादी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व ही कब्जा चला आ रहा है और उक्त आराजी खसरा नम्बर 141 रकबा 0.65 को वक्त सैटिलमेंट ऑपरेशन के दौरान राजस्व कर्म0 द्वारा गलत प्रकार से राजस्व रिकार्ड में चारागाह भूमि अंकित कर दिया गया था। जबकि विवादित आराजी खसरा नम्बर 141 रकबा 0.65 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व कभी भी सिवायचक आराजी नहीं रही थी, वल्कि विवादित आराजी को वादी के पिता काश्त करते थे और उनकी मृत्यु के पश्चात वादी काश्त करता चला आ रहा है और वादी का ही कब्जा व काश्त है। हाल आराजी खसरा नम्बर 128 रकबा 1.85 हैक्टे0 स्थित ग्राम अंजारी तहसील डीग मौके पर गै0 मु0 पहाड की भूमि है और उक्त खसरा नम्बर में किसी प्रकार की कोई काश्त नहीं की जाती है। परन्तु उक्त खसरा नम्बर 128 रकबा 1.85 हैक्टे0 राजस्व कर्म0 की गलती से वादी की खातेदारी में दर्ज होता चला आ रहा है। हाल आराजी खसरा नम्बर 128 का साविक आराजी खसरा नम्बर 62 मिन से बनाया गया है। इसके भी अतिरिक्त वादी की सम्पूर्ण आराजी साविक के मकावले हाल आराजी वक्त सैटिलमेंट होने के पश्चात से सैटिलमेंट कर्मचा0 की गलती से कम आई है और खसरा नम्बर 141 रकबा 0.65 के क्षेत्रफल को मिलाकर विवादित आराजी का रकबा पूरा होता है, वादी की खातेदारी रकबा आराजी ख.नम्बर 141 रकबा 0.65 को मिलाकर पूरा होता है। ऐसी स्थिति में हाल आराजी खसरा नम्बर 128 को कलमजन करवाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 141 रकबा 0.65

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

हैक्टे0 स्थित ग्राम अंजारी तहसील डीग से प्रति0 का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु हाल राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 141 रकबा 0.65 हैक्टे0 के सम्बन्ध में गलत इन्द्राजात चारागाह भूमि होने के आधार पर प्रति0 संख्या 1 तहसीलदार तहसील डीग हस्तक्षेप करते है। हाल आराजी खसरा नम्बर 128 रकबा 1.85 हैक्टे0 स्थित ग्राम अंजारी तहसील डीग में से 2 वीघा के करीब खातेदारी के इन्द्राज को कलमजन किया जाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 141 रकबा 0.65 स्थित ग्राम अंजारी तहसील डीग पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और वादी के नाम हाल आराजी खसरा नम्बर 141 रकबा 0.65 को वादी को खातेदारी में दर्ज किया जावे और उक्त नम्बर 141 रकबा 0.65 की किस्म चारागाह को कलमजन किया जाकर प्रति0 को जरिये डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 23.11.2010 को सरकार की ओर से जबाव दावा पेश किया गया। जबाव में वर्णित किया गया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 141 रकबा 0.65 हैक्टे0 ग्राम अंजारी साविक खसरा नम्बर 63 मिन रकबा 30 वीघा 14 विस्वा में से निर्मित हुआ है। जोकि चारागाह सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। जिस पर राज0 का0 अधि0 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत खातेदारी प्राप्त करने पर प्रतिबंध है। वादी का कथन निराधार है। आराजी मुत0 चारागाह भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते वादी षडयंत्रपूर्वक चारागाह भूमि को हडपना चाहता है। दावा वादी निराधार है।

दावा व जबाव दावा की प्लीडिंग के आधार पर निम्नांनुसार तनकी दिनांक 18.04.2017 को कायम की गईः–

1. आया वादी विवादित आराजी खसरा नम्बर 141/0.65 वाके ग्राम अंजारी तहसील डीग वादी के कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है,लेकिन भू–प्रबंध विभाग ने सैटिलमेंट ऑपरेशन के दौरान ख0नम्बर 156 गै.मु. पहाड में मिला दिया है जिसे वादी शुद्व कराने का अधिकारी है।
2. आया वादी विवादित आराजी खसरा नम्बर 141/0.65 वाके ग्राम अंजारी तहसील डीग जोकि वादी के बुजुर्गान की कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी है जिसे वक्त सैटिलमेंट ऑपरेशन के दौरान गलत प्रकार से चारागाह दर्ज कर दिया है। उसे शुद्व कराने का अधिकारी है।
3. आया विवादित आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।
4. दादरसी।

उक्तानुसार तनकीयात कायम के पश्चात सम्बन्धित वादी के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत की गई। वकील वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का गहनतापूर्वक अवलोकन तथा वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा दावे में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि हाल आराजी खसरा नम्बर 141 रकबा 0.65 को वादी को खातेदारी में दर्ज किया

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

जावे और उक्त नम्बर 141 रकबा 0.65 की किस्म चारागाह को कलमजन किया जाकर प्रति0 को जरिये डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद फरमाया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जबाव दावा का गहनतापूर्वक अवलोकन तथा वकील वादी द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। वादी के द्वारा दावे की पुष्टि में हाल जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबंध विभाग तथा साविक जमाबन्दी पेश की गई। वादी के द्वारा बहस के दौरान वकील वादी द्वारा दावे में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि हाल आराजी खसरा नम्बर 141 रकबा 0.65 को वादी को खातेदारी में दर्ज किया जावे और उक्त नम्बर 141 रकबा 0.65 की किस्म चारागाह को कलमजन किया जाकर प्रति0 को जरिये डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त विवरण अनुसार हम वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राज0 टि0 एक्ट, को राजस्व रिकार्ड से सावित नहीं होने व राजस्व रिकार्ड के अभाव में अस्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि :–

वादीगण का दावा उपलब्ध साक्ष्य से सावित नहीं होने व राजस्व रिकार्ड के अभाव में **अस्वीकार/खारिज** किया जाता है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(डॉ. रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 19.06.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner